26
30-1-18

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/राजस्व/2018/333

तहसीलदार

श्रीमाधोपुर। दिनांकः—30.01.2018

आदेश

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015—16 के परिप्रेक्ष्य राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र प. 3 (2) राज—6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619—44 दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328—53/राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 163/राजस्व/18 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रस्ताव रास्ता प्रचलित है तथा मौके पर उक्त रास्ता डामरीकरण सड़क व कच्चा है तथा वर्तमान में चालू है तथा उक्त रास्ता ग्राम आभावास से ढाणी गेन्दजीवाली से होते हुए ढाणी जाखड़ोंवाली से सीमा ग्राम भगतसिंह नगर दादिया रोड़ से कोलावाली, चाचोलाई, सरण की ढाणी व धायलोंवाली होते हुए जाती है। उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रक्बा रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने बाबत अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 की प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूची व नक्शा ट्रेस में अकिंत/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप दर्ज किये जाने के आदेशा दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को संलग्न प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये जाते है कि निम्न खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। गै.मु. रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावें एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश यदि हो तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किया जावे।

क्र. स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा न.	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1.	आभावास	आभावास	1098	0.45 हैक्टर चारागाह	290 वर्गमीटर
2	आभावास	आभावास	1096	0.13 हैक्टर चारागाह	1300 वर्गमीटर
3	आभावास	आभावास	1266	0.08 हैक्टर बारानी 2	800 वर्गमीटर

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner